न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प बाडमेर मगरा

क्रमांक रीडर/2023/ 2143 दिनांक – 25.07.2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 परमेश्वरी देवी पत्नी बोरीदास जाति सोनी निवासी पीपली चौक, ढाणी बाजार बाडमेर 2 परमेश्वरीदेवी पत्नी सवाईलाल जाति सोनी निवासी राय कॉलोनी जाजू भवन के पास बाडमेर 3 ढेलीदेवी पत्नी रतनलाल जाति सोनी निवासी सुनारों का वास बाडमेर 4 लतादेवी पत्नी विक्रम कुमार जाति निवासी जूना केराडू मार्ग बाडमेर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 मालाराम 2 नरपत कुमार पिसरान ईशराराम 3 वरजूदेवी पत्नी ईशराराम 4 प्रहलादराम पुत्र मनसुखदास 5 धनाराम पुत्र चैलाराम 6 जोगाराम 7 लाभूराम 8 दमाराम पिसरान शिवाराम 9 जमनादेवी पत्नी शिवाराम जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 205/2023 दिनांक– 04/07/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2464/180 रकबा 07.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2023/ 2144–2147 दिनांक– 25.07.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर ग्रामीण तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. परमेश्वरी देवी पत्नी बोरीदास वगैराह जाति सोनी निवासी पीपली चौक, ढाणी बाजार बाडमेर।
4. विप्रार्थी मालाराम पुत्र ईशराराम वगैराह जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर